अवतार मेहेर बाबा पर्पेचुअल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट (AMBPPCT)

निवासी आचार संहिता (Resident Code of Conduct)

(संशोधित सितंबर 2025)

इस निवासी आचार संहिता ("संहिता") के प्रयोजन हेतु, अवतार मेहेर बाबा पर्पेचुअल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, अवतार मेहेर बाबा ट्रस्ट ("फर्स्टली"), मेहेर फ्री डिस्पेंसरी (मेहेराज़ाद) और मेहेराज़ाद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को सामूहिक रूप से "ट्रस्ट" कहा जाएगा।

अवतार मेहेर बाबा द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित मूल अवतार मेहेर बाबा ट्रस्ट विलेख में, उन्होंने अपने ट्रस्ट के लिए अनेक उद्देश्य निर्धारित किए, जो उनके उन प्रेमियों के लिए उनकी इच्छाओं के रूप में आज भी विद्यमान हैं जो ट्रस्ट के माध्यम से उन्हें सेवा अर्पित करना चाहते हैं। निवासियों के लिए, ये इच्छाएँ मेहेराबाद, मेहेराज़ाद और ट्रस्ट कार्यालय में जीवन जीने का मार्गदर्शन और आधार प्रदान करती हैं। इन अत्यंत पवित्र स्थलों के निकट निवास करना, जहाँ बाबा की उपस्थिति हृदय की गहराइयों से अनुभव होती है, न केवल एक आशीर्वाद है, बल्कि एक उत्तरदायित्व भी है। यह निवासियों को उनके द्वारा पवित्र किए गए वातावरण में रहने का अनूठा सौभाग्य प्रदान करता है, साथ ही उन्हें उनके विलेख के उद्देश्यों में वर्णित उनकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायता हेतु सेवा के माध्यम से अपने प्रेम को व्यक्त करने के प्रचुर (अनेक) अवसर भी देता है।

1969 के बाद से अपने अधिकांश इतिहास में, ट्रस्ट का नेतृत्व पहले बाबा की बहन और अनन्य शिष्या, मनी ने किया, और फिर भाऊ कलचुरी ने, जो मेहेर बाबा के मंडली के सदस्य भी थे। चूँकि ट्रस्ट का नेतृत्व अब किसी मंडली सदस्य के हाथों में नहीं रहा, ट्रस्टी यह समय उचित मानते हैं कि वर्तमान और भावी निवासियों के लिए एक औपचारिक संहिता तैयार की जाए।

1. निवासी (Resident) कौन है: इस संहिता के लिए, निवासी की परिभाषा में वे सभी लोग शामिल हैं जो ट्रस्ट की संपत्ति पर निवास करते हैं, ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित निवासी, और अन्य नियमित स्वयंसेवक जो ट्रस्ट की संपत्ति के बाहर रहते हैं। इस परिभाषा में वे ट्रस्टी भी शामिल हैं जो निवासी की योग्यता रखते हैं।

2. एक व्यापक सिद्धांत: चूँकि इस संहिता में वर्णित सिद्धांत सामान्य प्रकृति के हैं, इसलिए यह संहिता उन सभी परिस्थितियों को समाहित नहीं करती जो उत्पन्न हो सकती हैं। निवासियों को अवतार मेहेर बाबा द्वारा व्यक्त आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित सामान्य बुद्धि और उचित विवेक का उपयोग करना चाहिए।

3. आचरण और सत्यनिष्ठा:

क. बाबा प्रेमियों और आम जनता की दृष्टि में, प्रत्येक निवासी ट्रस्ट का प्रतिनिधि है। अतः निवासियों को अवतार मेहेर बाबा द्वारा व्यक्त उच्चतम आध्यात्मिक मूल्यों और आचरण के अनुरूप नैतिक एवं आचारशील आदर्शों का पालन

करना चाहिए। उनका आचरण ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करे और निःस्वार्थता को प्रतिबिंबित करे।

ख. निवासियों को ट्रस्ट के सर्वोत्तम हित में ईमानदारी और विवेक के साथ कार्य करना चाहिए। उन्हें स्वयं के, अपने परिवार, मित्रों, या किसी बाहरी समूह, संस्था या संगठन — जिससे कोई निवासी संबद्ध हो सकता है — के लिए आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य नहीं करना चाहिए।

ग. निवासी का आचरण अपने प्रत्येक कार्य में बाबा के प्रेम और सत्य के संदेश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। यद्यपि कुछ भी प्रियतम बाबा के स्वरूप को धूमिल या कलंकित नहीं कर सकता — जैसे मिट्टी समुद्र को प्रदूषित नहीं कर सकती — फिर भी लापरवाह, अनादरपूर्ण, असभ्य या बेईमान आचरण उनके कार्य में सेवा की पवित्रता और सुंदरता को कम कर सकता है, और इस युग के अवतार को श्रद्धांजलि अर्पित करने विश्व के कोने-कोने से आने वाले उनके प्रेमियों को आहत कर सकता है।

घ. निवासियों को एक-दूसरे के साथ सद्भाव की भावना से व्यवहार करना चाहिए और किसी भी ऐसे शब्द या कार्य से बचना चाहिए जो हानि या दुर्भावना उत्पन्न करे — उनकी इच्छाओं के अनुसार और ट्रस्ट की संपत्ति पर आध्यात्मिक वातावरण को बनाए रखने के लिए। दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या धमकी — चाहे शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक या यौन हो — स्वीकार्य नहीं है।

4. ट्रस्ट की संपत्ति पर मानद (Honorary) सेवा:

क. निवासियों की एक प्रमुख जिम्मेदारी निःस्वार्थ भाव से सेवा अर्पित करना है। मेहेर बाबा इस बात पर विशेष ध्यान देते थे कि ऐसी सेवा दयालुता और उदारता के साथ की जाए। बाबा के शब्द इसे सुंदरता से अभिव्यक्त करते हैं: "प्रेम देने में आनंद और गौरव पाता है, न कि पाने में। इसलिए प्रेम करना और देना सीखो, और दूसरों से कुछ अपेक्षा मत रखो।"

ख. निवासियों को यह समझना चाहिए कि ट्रस्ट परिसर पर बाबा को सेवा अर्पित करने में ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए गए सेवा के अवसरों को स्वीकार करना भी शामिल है।

ग. ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित निवासी और ट्रस्ट परिसर पर रहने वाले निवासी यहाँ प्रियतम बाबा को अपना जीवन समर्पित करने के लिए हैं। सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने समय का महत्वपूर्ण भाग ट्रस्ट के कार्य के माध्यम से प्रियतम बाबा की सेवा अर्पित करने में लगाएँ।

5. पक्षपात, भेदभाव और उत्पीड़न नहीं: सभी निवासियों को ऐसा वातावरण बनाना और बढ़ावा देना चाहिए जहाँ स्त्री और पुरुष, ट्रस्ट में उनका पद चाहे जो भी हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। अपने कर्तव्यों का पालन करते समय, निर्णय केवल सत्यनिष्ठा के आधार पर लिए जाने चाहिए और सद्भाव की भावना से क्रियान्वित किए जाने चाहिए।

6. देश के कानूनों का पालन करें: यह बाबा की सुस्पष्ट इच्छा है कि उनके प्रेमी देश के कानून का सम्मान करें और सदैव उसका पालन करें। अतः सभी निवासियों को देश के लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पूर्णतः और सतर्कतापूर्वक पालन करना चाहिए। ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित निवासियों को कानून न तोड़ने की अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह समझना और स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना न केवल बाबा की इच्छाओं के विरुद्ध होगा, बल्कि सरकारी अधिकारियों के साथ उनके ट्रस्ट की प्रतिष्ठा और सुसंबंधों को भी नुकसान पहुँचाएगा।

7. कोई राजनीतिक संबद्धता नहीं: कोई भी निवासी किसी राजनीतिक गतिविधि से न तो जुड़े और न ही उसमें भाग ले।

8. धर्म-परिवर्तन का प्रचार नहीं: मेहेर बाबा ने बार-बार स्पष्ट किया है कि वे नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके कारण अपना धर्म बदले या कोई नया धर्म अपनाए। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और कहा कि प्रत्येक धर्म, यदि सच्चे मन से पालन किया जाए, तो एक ही सत्य की ओर ले जाता है। मेहेर बाबा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनके संदेश को साझा करने का सबसे अच्छा तरीका उपदेश देने के बजाय उसे जीना है — प्रेम, ईमानदारी, विनम्रता और निःस्वार्थ सेवा के माध्यम से।

9. कोई रीति-रिवाज, अनुष्ठान (कर्मकांड) और रस्में नहीं: ईश्वर के प्रति प्रेम और दैनिक जीवन में ईमानदारी, बाहरी रीति-रिवाजों, अनुष्ठानों और रस्मों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है — यही अवतार मेहेर बाबा की शिक्षाओं का सार है।

10. नशीले पदार्थ / मादक द्रव्य नहीं: मेहेर बाबा के अपने प्रेमियों को दिए गए निर्देशों के अनुसार, निवासियों को सभी अवैध या बिना चिकित्सीय पर्चे की दवाओं — जिसमें हशीश, भाँग, अफीम आदि शामिल हैं — के उपयोग से पूर्णतः विरत रहना चाहिए। ऐसे किसी भी पदार्थ का उपयोग करने या उसे अपने पास रखने वाले व्यक्ति को तत्काल ट्रस्ट परिसर छोड़ने के लिए कहा जाएगा और उन्हें उनके स्वयंसेवी कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा।

11. कोई तांत्रिक अथवा गूढ़ विद्या (Occult) का अभ्यास नहीं: इस दिशानिर्देश के प्रयोजन हेतु, "गूढ़ विद्या अभ्यास" शब्द में शामिल है, किंतु सीमित नहीं है: स्वतः लेखन (auto writing) या आत्मा संचार (spirit communication) जो अदृश्य सत्ताओं से संदेश प्राप्त करने का दावा करता है; रेकी, प्राणिक उपचार या इसी प्रकार की ऊर्जा-आधारित तकनीकें; अतींद्रिय दृष्टि (clairvoyance), चैनलिंग या माध्यम-विद्या (mediumship) सहित अपसामान्य (paranormal) या मानसिक (psychic) दावे; टैरो कार्ड या ओईजा (Ouija) बोर्ड जैसे भविष्यकथन के उपकरण; परिणामों की भविष्यवाणी या उन पर प्रभाव डालने के इरादे से किए गए गूढ़ अनुष्ठान; और कोई भी ऐसा अभ्यास जो "विशेष शक्तियाँ" प्रदान करने या विकसित करने का दावा करता हो। मेहेर बाबा की इच्छाओं और संदेशों की भावना में तथा केवल अवतार मेहेर बाबा पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए ऐसी सभी गतिविधियों से कड़ाई से बचा जाना चाहिए।

12. विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों की मूल भावना की सराहना: "नई विश्व-संस्कृति, जो समग्र अन्तर्दृष्टि (integral vision) से उदित होगी, वह स्वयं ही सांस्कृतिक समन्वय (cultural synthesis) लेकर आएगी। चूँकि जो अन्तर्दृष्टि

नई विश्व-संस्कृति को प्रेरणा देगी, वह व्यापक और सर्वांगीण होगी, इसलिए वह विविध परंपराओं के मूल्यों को नकारेगी नहीं, और न ही उनके प्रति केवल उपेक्षापूर्ण सहिष्णुता (औपचारिक सहनशीलता) रखेगी। इसके विपरीत, वह विविध धर्मों और संस्कृतियों के आवश्यक तत्त्वों की सक्रिय सराहना के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करेगी। सत्य का व्यापक दर्शन किसी भी मत, सिद्धांत या संप्रदाय से सीमित नहीं हो सकता; तथापि वह मनुष्यों को इन सीमाओं से ऊपर उठने में सहायता करता है — न कि प्रचलित मतों, सिद्धांतों और संप्रदायों के सभी मूल्यों के विवेकहीन और एकतरफा निषेध द्वारा, बल्कि उनमें छिपे हुए सत्य के उन पहलुओं को खोजने, उन पर बल देने, उन्हें प्रकट और विकसित करने के द्वारा।"
— मेहेर बाबा —

13. विवाह की पवित्रता: निवासी यहाँ अपना जीवन प्रियतम बाबा पर केंद्रित करने के लिए आए हैं, इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे विवाह, ब्रह्मचर्य और अनैतिक संबंधों के संबंध में बाबा की इच्छाओं का पालन करें। विवाहित निवासियों को मेहेर बाबा के निर्देश का सम्मान करते हुए विवाहेतर संबंधों से विरत रहना चाहिए। जो अविवाहित निवासी हैं और/या ट्रस्ट के माध्यम से सेवा अर्पित कर रहे हैं, उन्हें बाबा की इच्छा का सम्मान करते हुए ब्रह्मचारी रहना चाहिए।

14. हितों का टकराव (Conflict of Interest): निवासियों को ट्रस्ट के सर्वोत्तम हित में ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और किसी भी ऐसे हितों के टकराव से बचना चाहिए जो उत्पन्न हो सकते हैं। हितों का टकराव तब होता है जब परस्पर विरोधी निष्ठाएँ (competing loyalties) ट्रस्ट की कीमत पर स्वयं के, परिवार या मित्रों के लिए व्यक्तिगत लाभ का कारण बन सकती हैं। यदि कोई निवासी संभावित हित टकराव के बारे में अनिश्चित हो, तो इस मामले को मार्गदर्शन के लिए अध्यक्ष (Chairman) के पास भेजा जाना चाहिए। जहाँ हितों का टकराव वास्तव में विद्यमान हो, वहाँ निवासी को हित की प्रकृति घोषित करनी चाहिए और किसी भी संबंधित निर्णय को लेने या प्रभावित करने से स्वयं को अलग रखना चाहिए।

15. गोपनीयता (Confidentiality): ट्रस्ट से संबंधित गोपनीय जानकारी अनधिकृत व्यक्तियों को उजागर अथवा बताई नहीं जानी चाहिए।

16. ट्रस्ट की संपत्ति: ट्रस्ट की समस्त संपत्ति — चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक (tangible and intangible) — का सम्मानपूर्वक और सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए। ट्रस्ट की संपत्ति का कोई भी अनधिकृत उपयोग कदापि नहीं होना चाहिए।

17. भूमि खरीद: निवासी और उनके निकट परिवार के सदस्य (अर्थात् दादा-दादी/नाना-नानी, माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चे, चाचा-चाची/मामा-मामी, भतीजे-भतीजियाँ/भाँजे-भाँजियाँ, चचेरे/ममेरे भाई-बहन, ससुराल पक्ष) ज़मीन खरीदने के इच्छुक हों, वे पहले अध्यक्ष से मिलें ताकि ट्रस्ट के विकास में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

18. व्यावसायिक गतिविधि: प्रायोजित निवासी, ट्रस्ट परिसर (Trust estate) में रहने वाले निवासी, और उनके निकट परिवार के सदस्य (यदि वे भी ट्रस्ट परिसर में रहते हों) कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर सकते — केवल पहले से चल रहे व्यवसायों को यथावत जारी रख सकते हैं।

19. कोई उपहार या पारितोषिक नहीं: निवासी, अपनी निवासी की भूमिका में, व्यक्तिगत लाभ हेतु कोई उपहार, पारिश्रमिक (fees), छूट या सुविधा नहीं माँगेंगे। जो निवासी विभिन्न बाबा सभाओं में बोलने हेतु आमंत्रित हों, वे केवल उचित यात्रा एवं ठहरने का खर्च ही स्वीकार कर सकते हैं।

20. मीडिया संपर्क: निवासियों को कभी भी ट्रस्ट के प्रवक्ता के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए या स्वयं को ऐसा प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष (Chairman) ट्रस्ट का सार्वजनिक चेहरा हैं और सार्वजनिक मीडिया — जिसमें प्रेस, रेडियो, टीवी, इंटरनेट या सोशल मीडिया नेटवर्क शामिल हैं — से संपर्क करना अध्यक्ष या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है।

21. अन्य कार्यों और संस्थाओं का समर्थन: कोई भी निवासी किसी ऐसे कार्य या संस्था के लिए आग्रह या प्रचार नहीं करेगा जो ट्रस्ट डीड और ट्रस्ट नीतियों — जिनमें यह संहिता भी शामिल है — के अनुरूप न हो।

22. आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट और कार्रवाई: आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन अध्यक्ष के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। गंभीर उल्लंघन और/या बार-बार के उल्लंघन पर निवासी का प्रायोजन रद्द किया जा सकता है और/या जहाँ लागू हो, ट्रस्ट परिसर में स्टाफ आवास से हटाया जा सकता है। ट्रस्ट परिसर के बाहर रहने वाले निवासियों सहित, कोई भी निवासी जो गंभीर उल्लंघन करता है, उसे ट्रस्ट के लिए स्वैच्छिक (Voluntary) सेवा अर्पित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रस्ट विभाग: "निवासी – प्रायोजन, आचरण एवं सहायता" अध्यक्ष के परामर्श से यह निर्णय लेगा कि क्या कार्रवाई की जाए।

23. ट्रस्टियों की आचार संहिता: चूँकि यह संहिता उन ट्रस्टियों पर भी लागू होती है जो निवासी हैं, इसलिए संहिता और ट्रस्टियों की आचार संहिता के बीच किसी भी विरोध की स्थिति में, बाद वाली (ट्रस्टियों की आचार संहिता) प्रभावी होगी।

24. संहिता का वितरण: हर वर्ष निवासियों को ईमेल या किसी अन्य माध्यम से संहिता की एक प्रति दी जाएगी, ताकि उन्हें इन दिशानिर्देशों का स्मरण रहे।

25. संहिता का संस्करण: यह आचार संहिता एक जीवंत दस्तावेज़ है जिसमें बोर्ड आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकता है।

अध्यक्ष एवं ट्रस्टी बोर्ड